आर्डी टे० नं० – T4/25-26

5

पत्रांक–25 / लो0सू0(सा0प्र0)01–02 / 22(**आई0डी0 संख्या–26810**)–का0 1145/25

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्रः–ङ

(नियम 4 (2) देखें)

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानांतरण

कम्प्यूटरीकृत आगत
पत्र
संख्या 4104326
21.05.2025

प्रेषक–

सुनील कुमार तिवारी,
अवर सचिव–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक– 13/05 / 2025

महाशय,

श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–10.04.2025 जिसका (विभागीय आई0डी0 सं0–**26810 / 05.05..2025**) जिसे निम्न कारणों से संलग्न किया जाता हैः–

वांछित सूचना इस विभाग / कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है। चूँकि यह आपके विभाग / कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है, अतः इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको हस्तांतरित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र 'क' के साथ वांछित शुल्क रुपये 10 / –प्राप्त है, जिसे सरकारी राजकोष में जमा किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त,

विश्वासभाजन,

13/05/25

(सुनील कुमार तिवारी)
अवर सचिव–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी ।

21/05/25

21.05.25

G:/2023/Sanjay Sir RTI Page-680

4

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सूचना कोषांग
(सामान्य प्रशासन विभाग)
आई० डी० सं० 26810
दिनांक 05/05/2025

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
15 APR 2025
सं० 290 अनु०

सेवा में, भवन निर्माण विभाग
लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार पटना

1. आवेदक का नाम अरविन्द कुमार
2. पूरा पता 304, हरिचरण रेसीडेन्सी, नन्दनपुरी, ख्वाजपुरा पटना 14

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

कृपया निम्न दो सूचनायें देने की कृपा करेंगे।

(1) मेरे द्वारा माँगी गई सूचना के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्र संख्या म० सी० आर० टी० आई० - 430/2023 - 533/ दिनांक 15.8.23 (ID NO 433/2023) द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि मुख्य सचिव कोषांग के दैनिक संख्या 1901 दिनांक 18.04.23 द्वारा मेरा आवेदन सामान्य प्र० वि० को आवश्यक कार्यार्थ भेज दिया गया है। कृपया मेरे आवेदन पर की गई अद्यतन कारवाई की सूचना देने की कृपा करें।

(2) मेरा सूचना आवेदन प्रपत्र (ID NO - 581/23), को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा मुख्य सचिव कोषांग के दैनिक सं० 2114 दि० 10.8.23 द्वारा प्रधान सचिव सा० प्र० वि०, बिहार को आवश्यक कार्यार्थ भेजा गया है। (प्रतिलिपि संलग्न) कृपया मेरे आवेदन पर की गई अद्यतन कारवाई की सूचना देने की कृपा करें।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने .... रुपये (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं ~~डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश~~ पोस्टल आर्डर सं० 568001 दिनांक 02/02/24 जो लो० सू० पदा० पदाधिकारी के पक्ष में बीस रुपये का ~~बैंक~~ द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :
अरविन्द कुमार
304, हरिचरण रेसीडेन्सी
नन्दनपुरी, ख्वाजपुरा

2128
22/04/25

10/04/2025
आवेदक का हस्ताक्षर
ई-मेल पता, अगर कोई हो; arvindktec@gmail.com
दूरभाष संख्या 7992296969

स्थान : पटना तिथि : 10/04/2025

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–74/25–26** 3237(E) **पटना, दिनांक**– 22/05/25

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13/14,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–10.04.2025, जो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1145(25), दिनांक–13.05.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–21.05. 2025 को प्राप्त हुआ है। संलग्न किया जाता है, **(आई०डी०सं०–74/25–26)।**

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा**–5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र–'क' के आलोक में, यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो आवेदक से शुल्क प्राप्त कर वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक– 3237(E)

दिनांक– 22/05/25

प्रतिलिपिः **उप सचिव (निगरानी), प्रभारी प्रशाखा–13/14,** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..................
....
दिनांक–..................

लोक सूचना पदाधिकारी

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2024\praptra.-Ja.docx

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

7

पत्र संख्या–निग/सारा–04(पथ) सूचना–28/2025 3688 (E) पटना, दिनांक 12/06/2025

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–14

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदक श्री अरविन्द कुमार द्वारा माँगी गयी सूचना के संबंध में (आई0डी0सं0–74/25–26)।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–लो0सू0को0/आई0डी0सं0–74/25–26–3237 (ई०) अनु० दिनांक–22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार का सूचना आवेदन दिनांक–10.04.2025 (आई0डी0सं0–74/25–26) के द्वारा याचित सूचना निम्नवत् है :–

याचित सूचना	सूचना का विवरण
1. मेरे द्वारा माँगी गई सूचना के आलोक में मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के पत्र संख्या 4/सी० आर०टी०आई०–430/2023–533/दिनांक–14.08.2023 (ID No.-463/2023) द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि मुख्य सचिव कोषांग के दैनिक संख्या 1901 दिनांक 18.04.2023 द्वारा मेरा आवेदन सामान्य प्र0वि0 को आवश्यक कार्यार्थ भेज दिया गया है। कृपया मेरे आवेदन पर की गई अद्यतन कार्रवाई की सूचना देने की कृपा करें।	1. श्री अरविन्द कुमार द्वारा याचित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के नियम–8 (1) (ज) के अतंर्गत देय नहीं है।
2. मेरा सूचना आवेदन प्रपत्र (ID No.-581/2023), को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा मुख्य सचिव कोषांग के दैनिक संख्या–2114 दिनांक 10.08.2023 द्वारा प्रधान सचिव, सा0प्र0वि0, बिहार को आवश्यक कार्यार्थ भेजा गया है। कृपया मेरे आवेदन पर की गई अद्यतन कार्रवाई की सूचना देने की कृपा करें।	2. श्री अरविन्द कुमार द्वारा याचित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के नियम–8 (1) (ज) के अतंर्गत देय नहीं है।

1126
प्र०को०
13/06/25

विश्वासभाजन

12.06.25
प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–14

प०२११०, ई५५१ (ह) 17.06.25

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)
बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–74/25–26** 3828 (E) **पटना, दिनांक–**17/06/2025

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार,
308, हरिचरण रेसीडेन्सी,
नन्दनपुरी खाजपुरा,
पटना–800014

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–10.04.2025 जो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1145(25), दिनांक–13.05.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–21.05.2025 को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–74/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3688 (E) दिनांक–12.06.2025 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 17/6/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–3828 (E)

पटना, दिनांक–17/06/2025

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/6/25

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..................
....
दिनांक-..................

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2024\prapatra Gha.docx